भारतीय राजनयिकों पर हमले

*252. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले आठ महीनों के दौरान विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों पर हमले/उनकी हत्या करने के प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्य देशों के साथ चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) पिछले 8 महीनों के दौरान भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों पर आक्रमण के 3 मामले हुए जो नीचे दिए अनुसार हैं:

1. 15 अप्रैल, 1992 की रात्रि को भारत का राजदूतावास, ताशकंद में निजी सचिव, श्री वी० साइरम पर सक्षस्त्र व्यक्तियों ने उनके घर में घुसकर हमला किया। स्थानीय अधिकारी अभी तक हमलावरों का पता नहीं लगा पाए हैं।

2. भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद में काउन्सलर श्री राजेश मित्तल का 24 मई को सुबह उस समय अपहरण कर लिया गया जब वे हाई कमीशन आ रहे थे। उन्हें 7 घण्टे बन्दी बना कर रखने के बाद छोड़ा गया था। अपहरण के लिए उत्तरदायी पाकिस्तान की आसूचना एजेन्सियों ने उन्हें थर्ड डिग्री यातनाएं दी जिनके फलस्वरुप श्री मित्तल को गंभीर चोटें पहुंची।

3. 7 जून और पुनः 16 जून, 1992 को अज्ञात व्यक्तियों ने प्रधान कोंसलावास, कराची में कोंसल श्री डी०पी० श्रीवास्तव द्वारा चलाई जा रही कार के मार्ग को रोका। उन्होंने खिड़की के शीशे को तोड़ने का प्रयास किया और पिस्तौल तानकर कार के दरवाजे को बलपूर्वक खोलने की कोशिश की।

(ख) प्रत्येक मामले में भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनः न होने देने के लिए उपयुक्त राजनयिक कार्यवाही की गई थी। तथापि, भारतीय राजनयिकों के बचाव का दायित्व मेजबान सरकार का होता है। मिशनों को भी, उनकी सुरक्षा के लिए सभी खतरों की सतत् जानकारी दी जाती है और स्थानीय सरकार को सावधान कर देने की सलाह दी जाती है ताकि वह उनके बचाव के लिए उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था कर सके।

(ग) ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो मामले को मेजबान सरकार के साथ उठाया जाता है। तथापि, भारत और पाकिस्तान के बीच अगस्त, 1992 में पाकिस्तान और भारत में राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार करने के बारे में एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

Parliamentary Bill on I.C.W.A

*253. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are considering various measures including the possibility of introducing a Bill in Parliament regarding the Indian Council of World Affairs; and

(b) if so, the reasons for delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Government have under consideration various ideas and proposals regarding Indian Council of World Affairs. Government have also advised the management of the council which is an autonomous institution to take suitable steps with regard to various complaints being received about its functioning. On the basis of response awaited from the management, Government will review the matter.

Autonomy to fertilizer industry

*254. SHRI V. NARAYANASAMY: SHRI S.S. AHLUWALIA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the fertilizer industry have demanded full autonomy for its survival after decontrol; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS: (SHRI CHINTA MO-